छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून

अध्याय I

- प्रारंभिक
- संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र एवं प्रभावशीलता

अध्याय II

- परिभाषायें

अध्याय III

- मीडियाकर्मियों की पंजी
- मीडियाकर्मी पंजीयन हेतु अर्हताए
- मीडियाकर्मी पंजीयन हेतु प्राधिकार
- मीडियाकर्मी पंजीयन हेतु आवेदन
- मीडियाकर्मी के पंजीयन का निरस्तीकरण, विलोपन अथवा संशोधन
- पंजीयन आवेदन को अस्वीकार करने अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण पर अपील

अध्याय IV

- मीडियाकर्मी सुरक्षा हेतु समिति
- जोखिम प्रबन्धन इकाईयां
- सुरक्षा उपाय
- सुरक्षा उपायों को सूचित करने की अनिवार्यता
- जोखिम प्रबन्धन इकाई का मीडियाकर्मी सुरक्षा समिति के मार्गदर्शन में कार्य करना
- सुरक्षा उपाय करने हेतु जोखिम प्रबन्धन इकाई एवं सुरक्षा समिति को हर आवश्यक सहायता करने एवं सुरक्षा उपाय करने हेतु शासन की बाध्यता

अध्याय V

- अनुचित हिरासत एवं अभियोजन से सुरक्षा

अध्याय VI

- शास्ति एवं दण्ड

अध्याय VII

- विविध

अध्याय – I

संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र एवं प्रभावशीलता

1. यह कानून ''छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा कानून'' कहा जायेगा।
2. इस कानून का प्रभाव क्षेत्र समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश होगा।
3. यह कानून छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।

अध्याय – II

परिभाषा

4. विषय और सन्दर्भ से यदि अन्य अर्थ निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उनके सम्मुख दर्शाया गया है :–

(अ) 'अपील' का अर्थ वही होगा जो इस कानून की धारा 25 में वर्णित है।

(ब) 'अपीलीय प्राधिकारी' का अर्थ इस कानून की धारा 23 के तहत गठित समिति से है।

(स) 'प्राधिकार' का अर्थ इस कानून की धारा 11 के तहत गठित निकाय है।

(द) 'समिति' का अर्थ इस कानून की धारा 28 के तहत मीडियाकर्मियों की सुरक्षा हेतु गठित समिति से है।

(फ) 'रूचियों का परस्पर विरोध' से अर्थ है शासकीय दायित्व के निर्वहन में किया गया ऐसा कृत्य अथवा लिया गया निर्णय जिससे किसी व्यक्ति, उसके मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक सदस्य को इस प्रकार प्रभावित करता है जो उसे श्रेणी या वर्ग के अन्य व्यक्ति से भिन्न हो।

(क) 'अर्ह व्यक्ति' का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो इस कानून की धारा 10 की शर्तो को पूरा करता हो।

(ख) 'आपात् सुरक्षा उपाय' का अर्थ है किसी व्यक्ति को हिंसा, धमकी या उत्पीड़न, से सुरक्षा की आवश्यकता हो, के लिए उठाये गये तात्कालिक कार्यवाही पहल और सुरक्षा उपाय जो, इस कानून की धारा 38 में वर्णनानुसार सुरक्षात्मक उपाय बनाने के पहले या धारा 39 के अंतर्गत संशोधन के पहले लिए गये हो।

(ग) 'शासन' का अर्थ ''छत्तीसगढ़ शासन'' है।

(घ) ''जनसंचार'' का अर्थ संसूचना का कोई भी माध्यम जिसका उपयोग जानकारी प्रदाय करने, विचार एवं मत प्रकट करने के लिए किया जाता हो। इसमें प्रिन्ट मीडिया यथा समाचार पत्र, पत्रिकाये और वृत्तपत्र, ऑडियो–विजुअल माध्यम जैसे रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, वीडियो मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और डिजिटल मीडिया जैसे न्यूज पोर्टल, वेब मैगजीन आदि शामिल है।

(ड.) 'संचार संस्थान' का अर्थ ऐसा संस्थान जो जनसंचार का कार्य करता हो।

(च) 'मीडियाकर्मी' का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी, स्वतंत्र संविदा अथवा प्रतिनिधि के तौर पर ऐसे संस्थान से जुड़ा हो जो व्यावसायिक तौर पर जनसामान्य को किसी

भी जनसंचार माध्यम से जानकारी पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें शामिल है संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, संवाददाता, काटूर्निस्ट, समाचार फोटोग्राफर, प्रूफरीडर, अनुवादक, प्रशिक्षु मीडियाकर्मी, ब्राडकॉस्टर, प्रिंटर, डिस्ट्रीब्यूटर, तकनीकी सहयोगी कर्मचारी जैसेः– वाहन चालक, दुभाषिया या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जो समाचार, विचार, मत के संकलन एवं प्रसारण में नियमित रूप से संलग्न हो।

(ज) 'व्यक्ति जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है' का अर्थ है पंजीकृत ऐसे मीडियाकर्मी जो हिंसा, उत्पीडन, धमकी से पीडित है अथवा ऐसे व्यक्ति जो पंजीकृत मीडियाकर्मी से संबंधित होने के कारण पीडित हो।

(झ) 'सुरक्षा योजना' का अर्थ ऐसी योजना जो इस कानून की धारा 29 अंतर्गत बनाया गया हो।

(ञ) 'सुरक्षा उपाय' का अर्थ ऐसे कृत्य, पहल और सुरक्षात्मक कदम हिंसा, उत्पीड़न, धमकी से पीड़ित व्यक्ति के सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया हो।

(ट) 'निर्धारित' का अर्थ इस कानून के अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत निर्धारित।

(ठ) 'मीडियाकर्मी की पंजी' तथा 'पंजी' का अर्थ इस कानून की धारा 5 के तहत संधारित पंजी।

(ण) 'पंजीकृत मीडियाकर्मी' तथा 'मीडियाकर्मी' का अर्थ है इस कानून के अध्याय III के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति।

अध्याय – III

मीडियाकर्मियों की पंजी

5. शासन निर्धारित प्रक्रिया के तहत मीडियाकर्मियों की पंजी संधारित करेगा।
6. यह पंजी भारतीय साक्ष्य कानून 1872 की धारा 72 क तहत एक सार्वजनिक अभिलेख होगा।
7. इस पंजी का शासकीय वेबसाइट में निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रदर्शित किया जायेगा।
8. इस पंजी में किसी प्रकार के जोड़, घटाव या बदलाव की दशा में, उसे 30 दिवस के भीतर प्रदर्शित किया जाना होगा।
9. ऐसा व्यक्ति जो धारा 10 में वर्णित योग्यताओं के तहत अर्ह होगा, पंजीकरण के लिए पात्र होगा।

मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु योग्यतायें

10. निम्नलिखित व्यक्ति मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होंगे :–

(अ) ऐसा व्यक्ति जिसके गत 3 माह में कम से कम 6 लेख जनसंचार माध्यम में प्रकाशित हुये हो

अथवा

(ब) ऐसा व्यक्ति जिसे गत 6 माह में किसी मीडिया संस्थान से समाचार संकलन के लिए कम से कम 3 भुगतान प्राप्त किया हो

अथवा

(स) ऐसा व्यक्ति जिसके फोटोग्राफ गत 3 माह की अवधि में कम से कम 3 बार प्रकाशित हुये हों।

अथवा

(द) स्तंभकार अथवा स्वतंत्र पत्रकार जिसके कार्य गत 6 माह के दौरान 6 बार जनसंचार माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित हुए हो।

(फ) ऐसा व्यक्ति जिसके विचार/मत गत तीन माह के दौरान कम से कम 6 बार जनसंचार में प्रतिवेदित हुए हो।

(ञ) ऐसा व्यक्ति जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र अथवा पत्र हो।

मीडियाकर्मियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकार

11. इस कानून के प्रभावशील होने के 30 दिवस के भीतर राज्य शासन मीडियाकर्मियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकार नियुक्त करेगा।
12. प्राधिकार में शामिल होंगे :–
    (अ) जनसम्पर्क विभाग का अधिकारी जो अतिरिक्त संचालक से निम्न पद का न हो, सदस्य सचिव
    (ब) दो मीडियाकर्मी, जिनकी वरिष्ठता कम से कम 10 वर्ष हो तथा इनमें से एक महिला मीडियाकर्मी होगी जो छत्तीसगढ़ में रहने एवं कार्य करने वाली हो।

    परन्तुक मीडियाकर्मियों का कार्यकाल प्राधिकार में दो वर्ष का होगा तथा कोई भी मीडियाकर्मी लगातार 2 कार्यकाल से ऊपर प्राधिकार का भाग नहीं होगा।
13. प्राधिकार निर्णय लेगा :–
    (स) मीडियाकर्मी पंजीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर
    (द) पंजी लेखा में जोड़, घटाव अथवा बदलाव के सम्बन्ध में

मीडियाकर्मी पंजीयन हेतु आवेदन

14. शासन मीडियाकर्मियो के निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान करेगा।
15. जिला जनसम्पर्क अधिकारी पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे एवं आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर आवेदन पंजीयन प्राधिकार को अग्रेषित करेंगे।

16. प्राधिकार आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर बैठक अथवा परिचालन के माध्यम से पंजीयन पर निर्णय लेगा।

    अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति का कारण लिखित में दर्शाया जायेगा।

17. प्राधिकार के निर्णय से आवेदक को 7 दिवस के भीतर अवगत कराया जायेगा।
18. ऐसे आवेदक जिनका आवेदन स्वीकार किया जाता है, उन्हें पंजीकृत मीडियाकर्मी के साक्ष्य के तौर पर पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
19. यह पंजीयन, पंजीयन तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा।

मीडिया कर्मियों के पंजीयन का निरस्तीकरण, विलोपन और परिवर्तित करना

21. प्राधिकार मीडियाकर्मी का पंजीयन निरस्त कर सकता है और रजिस्टर से उसका नाम हटा सकता है, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के पंजीकरण में त्रुटि थी।

22. पंजी से पंजीयन निरस्त करने और नाम हटाने की कार्यवाही स्वतः के संज्ञान पर या सूचना प्राप्त होने पर की जा सकेगी।

    परन्तुक, इस तरह की कार्यवाही संबंधित पत्रकार को सूचित किए बिना और उसका पक्ष जाने बिना नहीं की जाएगी।

पंजीयन के आवेदन को अस्वीकृत करने या निरस्त करने के विरूद्ध अपील

23. इस अधिनियम लागू होने के 30 दिनों के अंदर शासन एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगा, जो पंजीयन प्राधिकार के आवेदन को अस्वीकार करने या निरस्त करने के विरूद्ध अपील की सुनवायी करेगा।

24. अपील प्राधिकरण के सदस्य होंगे :–

    1. ऐसा व्यक्ति जो शासन के विशेष सचिव से निम्न पद का न हो, सदस्य सचिव
    2. तीन पत्रकार जिन्हें कम से कम 12 वर्षों का अनुभव हो, जिनमें से एक महिला सदस्य होनी चाहिए।

    परन्तुक, अपील प्राधिकरण में पत्रकारों का दो साल का कार्यकाल होगा और कोई भी पत्रकार इस प्राधिकरण में दो लगातार अवधि से ज्यादा नहीं रहेगा।

25 पंजीयन के आवेदन को अस्वीकृत करने या निरस्त करने के निर्णय के विरूद्ध अपील निर्धारित प्रक्रिया में इस निर्णय के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर की जा सकेगी।

परन्तुक, अपील प्राधिकरण अपील करने की अवधि को, लिखित में कारण प्राप्त होने पर उसे बढ़ा सकता है।

26 अपील आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर उस पर निर्णय लिया जाएगा। अपील पर यदि 30 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया जाता है तो अपील प्राधिकरण अपील पर निर्णय लेते समय इस देरी का कारण दर्ज करेगा।

अध्याय 4

27. शासन पत्रकारों को प्रताड़ना, धमकी या हिंसा के विरूद्ध सुरक्षा देने के लिए समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगा।

पत्रकारों की सुरक्षा हेतु समिति

28. इस अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के भीतर शासन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। यह समिति पत्रकारों की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी।

29. इस समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

1. एक पुलिस अधिकारी, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से निम्न पद का न हो।
2. जनसम्पर्क विभाग के विभाग प्रमुख पदेन सदस्य
3. तीन पत्रकार जिन्हें कम से कम 12 वर्षों का अनुभव हो, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।

परन्तुक, समिति में नियुक्त किए गए पत्रकारों का दो साल का कार्यकाल होगा और कोई भी पत्रकार इस समिति में दो अवधि से ज्यादा लगातार नहीं रहेगा।

30. शासन एक वेबसाइट का संचालन करेगी, जिसमें पत्रकारों से संबंधित प्रत्येक सूचना या शिकायत और उस संबंध में की गई कार्यवाही दर्ज की जाएगी, जो इस अधिनियम के आदेश के अधीन होगा, किन्तु यह सूचना अपलोड करते समय यदि उस व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित होती है तो शासन ऐसे समस्त उचित उपाय करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति की गोपनीयता रखने व पहचान को छुपाने के उपाय भी हो सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन इकाईयां

31. इस समिति के गठित होने के 30 दिन के अंदर प्रत्येक जिले में जोखिम प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी।

32. जोखिम प्रबंधन इकाईयों में निम्न सदस्य होंगे :–

1. जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष

2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सदस्य सचिव
3. पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य
4. दो पत्रकार जिन्हें कम से कम 07 वर्षों का अनुभव हो, जिनमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए। सामान्यतः वे उस जिले के निवासी होने चाहिए।
   परन्तुक, जोखिम प्रबंधन इकाई में पत्रकारों का दो साल का कार्यकाल होगा और कोई भी पत्रकार इस इकाई में दो अवधि से ज्यादा लगातार नहीं रहेगा।

33. जिस व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है, उसके सबसे नजदीक स्थित जोखिम प्रबंधन इकाई प्रताड़ना, धमकी या हिंसा की सूचना और शिकायत मिलने पर उसे देखेगी।

34. प्रताड़ना, धमकी या हिंसा से संबंधित सभी शिकायतें या सूचना प्राप्त होने पर कोई भी प्राधिकारी या शासन का कोई अधिकारी या जोखिम प्रबंधन इकाई, जिसका सामान्यतः वहां अधिकार क्षेत्र न हो, ऐसी शिकायतें संबंधित व्यक्ति को आपात सुरक्षा उपाय मुहैया कराने के बाद तत्काल संबंधित जोखिम प्रबंधन इकाई को अग्रेषित करेगा।

सुरक्षा उपाय

35. जोखिम प्रबंधन इकाई के प्रत्येक सदस्य के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रताड़ना, धमकी या हिंसा संबंधित शिकायत या सूचना की जानकारी जिलाधीश या पुलिस अधीक्षक को सूचित करें, जो बिना देरी किए :–

1. यथा स्थिति आवश्यक आपात सुरक्षा उपाय करेंगे तथा
2. जोखिम प्रबंधन इकाई को बुलाएंगे
   परन्तुक, जोखिम प्रबंधन इकाई प्रत्यक्ष रूप से या परिचालन द्वारा या दूरभाष से या दूरस्थ संचार के अन्य साधनों से आहूत की जा सकती है।
   परन्तुक, जोखिम प्रबंधन इकाई के सभी निर्णय सदस्य सचिव द्वारा जल्द से जल्द लिपिबद्ध किए जाएंगे और किसी भी स्थिति में 24 घण्टे के अंदर लिखे जाएंगे।

36. जोखिम प्रबंधन ईकाई तथा समिति ऐसे व्यक्ति जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है, जोखिम के स्तर का आंकलन करने और सुरक्षा प्रदाय करने के लिए शिकायत के स्त्रोत तथा अन्य स्त्रोतों से और अधिक जानकारी एकत्र कर सकती है।

37. जोखिम प्रबंधन इकाई यह निर्धारित करेगी कि प्राप्त सूचना या शिकायत :–

1. पर आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं या
2. सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है या
3. आपात सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के अलावा धारा 35 के तहत किए गए उपायों या उसके अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है।

38. जोखिम प्रबंधन इकाई यदि निर्धारित करेगी कि सुरक्षा उपाय आवश्यक है, जिस व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को सुरक्षित करने, उसके लिए जल्द से जल्द सुरक्षा योजना बनाएगी या किसी भी प्रकार से शिकायत या सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर सुरक्षा योजना बनाएंगी।

39. जोखिम प्रबंधन इकाई सुरक्षा योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

सुरक्षा उपाय बनाने की अनिवार्यताएं

40. उन परिस्थितियों के अलावा जहां परामर्श के लिए समय न हो, ऐसे व्यक्ति जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है, उसके परामर्श से सुरक्षा योजना तैयार की जायेगी तथा आपात सुरक्षा उपाय किये जायेंगे।

    बशर्ते, ऐसे मामलों में जिनमें जोखिम प्रकृति या उस व्यक्ति के लिए खतरा इतना ज्यादा है की बिना परामर्श के सुरक्षा कार्रवाई की आवश्यकता है, जोखिम प्रबंधन इकाई पहले उपलब्ध अवसर पर व्यक्ति के साथ परामर्श करेगी।

41. इस अध्याय के तहत उपाय करने के दौरान, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई करने, या कार्रवाई से बचने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

42. संरक्षण योजना तैयार करने और आपातकालीन सुरक्षा उपायों को लागू करने में, सभी अधिकारी पंजीकृत मेडियापर्सन के मौलिक अधिकारों का सम्मान करेंगे, विशेष रूप से पेशे, व्यवसाय, व्यवसाय या व्यवसाय का अधिकार, मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार और स्वतंत्र रूप से इच्छानुसार कही भी जाने के मौलिक अधिकार और संगठित होने के अधिकार का सम्मान किया जाएगा।

मीडियाकर्मी की सुरक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन इकाई, समिति के मार्गदर्शन में तहत कार्य करेगी

43. जोखिम प्रबंधन इकाइयाँ समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी।

44. ऐसी परिस्थिति जहां एक से अधिक जोखिम प्रबन्धन ईकाई शामिल हो, समिति इन जोखिम प्रबन्धन इकाईयों के मध्य समन्वय करेगी।

45. प्राप्त आवेदन या प्राप्त जानकारी के आधार पर यदि समिति को यह ज्ञात होता है कि जोखिम प्रबंधन इकाई सुरक्षा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने में विफल रही है, या इस अधिनियम के अनुच्छेदों या पंजीकृत मीडियाकर्मी के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने में विफल रही है, तब यह समिति आवश्यकतानुसार उपाय करेगी।

46. यदि समिति के संज्ञान में ऐसा प्रकरण आता है जहां सुरक्षा चाहने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न, धमकी या हिंसा का स्त्रोत जोखिम प्रबंधन इकाई का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में समिति :–

(अ) किसी समीपवर्ती जिले की जोखिम प्रबंधन इकाई को सूचना या शिकायत इस निर्देश के साथ हस्तांतरित करेंगी कि ऐसी जोखिम प्रबंधन इकाई खतरे से निपटेगी या,

(ब) सूचना या शिकायत को स्वयं लेते हुए उस खतरे के संबंध में जोखिम प्रबंधन इकाई के सभी कार्य अपने अधिकार में ले ले या,

(स) धमकी देने के आरोपी सदस्य को संबंधित जोखिम प्रबंधन इकाई में खतरे से संबंधी किसी भी विचार–विमर्श में भाग न लेने के लिए निर्देशित करें।

शासन जोखिम और संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए प्रबंधन इकाइयों और समिति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है।

47. यह सभी सरकारी प्राधिकरणों और सरकार द्वारा नियोजित व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा कि वे जोखिम प्रबंधन इकाई और समिति द्वारा मांगी गयी सभी जानकारी प्रदान करे, सिवाय उस सूचना के जो कानून द्वारा प्रकटीकरण से सुरक्षित हो।

48. सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा की वो इस अध्याय के संदर्भ में बनाई गई सुरक्षा योजना और आपातकालीन सुरक्षा उपायों को लागू करें, और जोखिम प्रबंधन इकाई और सुरक्षा की जरूरत वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करें और जो संरक्षण योजना और आपातकालीन सुरक्षा उपाय का लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव सहायता करें।

अध्याय – V

अनुचित अभियोजन और हिरासत से सुरक्षा

49. जहां समिति का प्रथम दृष्टया मत है कि :–

(अ) मीडिया प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के विरूद्ध शिकायत की प्रकृति में जॉच, अन्वेषण या परीक्षण की आवश्यकता है या

(ब) पंजीकृत मीडियाकर्मी के विरूद्ध पूर्व से जारी जॉच, अन्वेषण या परीक्षण के विरूद्ध पंजीकृत मीडियाकर्मी या उसकी ओर से प्राप्त शिकायत की प्रकृति में आवश्यकता है।

(स) समक्ष में प्रस्तुत सामग्री में आवश्यकता है।

समिति जॉच के पर्यवेक्षण या आगे की जॉच के किये एक टीम का गठन कर सकती है।

50. धारा 49 के तहत गठित पर्यवेक्षी टीम में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे।

51. पर्यवेक्षी टीम कम से कम बीस वर्ष के अनुभव वाले एक या अधिक मीडिया प्रतिनिधियों से परामर्श करेगी।

अध्याय – VI

शास्ति एवं दण्ड

52. ऐसा कोई व्यक्ति जो शासकीय सेवक है, यदि इस कानून या इस कानून के तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का जानबूझकर उपेक्षा करता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकेगा।

53. इस कानून के तहत अपराध की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो पुलिस उपाधीक्षक से निम्न पद का न हो।

54. इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे।

अध्याय – VII

विविध

55. इस अधिनियम के तहत गठित सभी निकायों के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे।

56. यदि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के दायित्वों के निर्वहन में संभावित रूचि के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह संबंधित निकाय के अध्यक्ष, संयोजक या सदस्य सचिव को सूचित करेगा और प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय में कोई भाग नहीं लेगा।

57. किसी भी मीडियाकर्मी को एक ही समय में इस अधिनियम के तहत गठित एक से अधिक निकाय के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

58. इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ लागू होंगे, न की उनके विरुद्ध में।

59. शासन इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और इस अधिनियम के तहत की गई शिकायतों, प्राप्त सूचनाओं और कार्यों के ऑकड़ों को एकत्र करेगी और संधारित रखेगी।

60. सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण :– इस अधिनियम के तहत अच्छे विश्वास या उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों के लिए शासन या शासन के किसी अधिकारी या प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा या अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

61. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो शासन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए इस तरह के प्रावधान कर सकती है जैसा कि आवश्यक प्रतीत हो, लेकिन नए प्रावधान इस कानून के प्रावधानों से असंगत नहीं होने चाहिए

किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति तक इस धारा के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत जारी किए गए प्रत्येक आदेश को जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

62. शासन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

63. पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह, ऐसे नियम निम्नलिखित में से किसी या सभी के लिए लागू हो सकते हैं, जैसे –

(क) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र ।

(ख) मीडियाकर्मी की पंजी का प्रारूप और दर्ज किए जाने वाले विवरण।

(ग) पंजीयन के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने पर संसूचित करने का तरीका ।

(घ) सदस्यता पंजीयन को रद्द करने से पहले सूचना पत्र का प्रारूप।

(च) प्रबंधन इकाई द्वारा जोखिम से सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ उपाय या आपातकालीन सुरक्षा उपाय।

(छ) इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला।

———